विद्यार्थियों हेतु

"डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के कुलपति के पद से प्राप्त अधिकार से मैं आपको इस विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से अलंकृत करता हूँ और आप पर यह पवित्र दायित्व सौंपता हूँ कि आप आजीवन इस उपाधि के अनुरूप सुयोग्य सिद्ध हों।"

20. एम. फिल. उपाधियों के लिए अभ्यर्थी सम्बद्ध संकाय के अधिष्ठाता द्वारा कुलपति के समक्ष निम्न रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे -

"श्रीमन्, मैं आपके समक्ष .... संकाय से मास्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ, जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जो मास्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के लिये योग्य प्रमाणित हो चुके है -

1-

2-

3-

"मैं प्रार्थना करता/करती हूँ कि ये मास्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि से अलंकृत किये जायें।"

तदन्तर कुलपति एम. फिल. उपाधियों के लिये समस्त अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शब्दों में अलंकृत करेंगे :-

"डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के कुलपति के पद से प्राप्त अधिकार से मैं आपको इस विश्वविद्यालय की मास्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से अलंकृत करता हूँ और आप पर यह पवित्र दायित्व सौंपता हूँ कि आप आजीवन इस उपाधि के अनुरूप सुयोग्य सिद्ध हों।"

21. तदनन्तर कुलाधिपति की अनुमति से, यदि वे उपस्थित हों, अन्यथा स्वयं कुलपति दीक्षान्त समारोह के समापन की घोषणा इस प्रकार करेंगे :-

"मैं दीक्षान्त समारोह का समापन घोषित करता हूँ।"

22. राष्ट्रगान 'जन-गन-मन' का गायन, यथासम्भव विश्वविद्यालय की कतिपय छात्राओं द्वारा, अन्यथा छात्रों द्वारा होगा।

23. तदनन्तर शोभा-यात्रा दीक्षान्त वितान से निम्न प्रकार से पहले से विपरीत क्रम में बाहर जायेगी, जबकि उपाधि-प्राप्तकर्ता तथा अतिथि आदि खड़े रहेंगे :-

कुलाधिपति-सचिव
मुख्य अतिथि, कुलाधिपति
ए. डी. सी. प्रथम तथा ए. डी. सी. द्वितीय
कुलपति
संकायो के अधिष्ठाता
कार्य-परिषद् के सदस्य
कोर्ट के सदस्य
विद्या परिषद् के सदस्य
कुलसचिव

(के0एन0सिंह)
कुलसचिव

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

वर्ष 2019 के दीक्षान्त समारोह की कार्य-विधि

1. विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में सत्र 2018-19 की डाक्टरेट उपाधियाँ और एम. फिल. उपाधियाँ ही प्रदान की जायेंगी। उपर्युक्त उपाधियों के लिये प्रत्याशियों को दीक्षान्त समारोह में अपने उपस्थित होने के निश्चय की सूचना समारोह के (6) छह दिन पूर्व कुलसचिव को लिखित रूप में अवश्य भेज देनी चाहिए। कोई भी प्रत्याशी जिसने निर्धारित अवधि के भीतर कुलसचिव के पास अपना नाम सूचित नहीं किया, दीक्षान्त समारोह में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा। अपवाद के रूप में कुलपति उक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपने नाम कुलसचिव के पास न भेजने वाले उन प्रत्याशियों को दीक्षान्त समारोह में प्रविष्ट होने की अनुमति दे सकते हैं जिनके प्रार्थना-पत्र दीक्षान्त समारोह के समय से कम से कम 48 घण्टे पूर्व रू0 150/- शुल्क के साथ कुलसचिव को मिल गये हो। ऐसे किसी प्रत्याशी को, जिसका प्रार्थना-पत्र तथा अपेक्षित शुल्क दीक्षान्त समारोह के समय से 48 घण्टे पूर्व तक प्राप्त नहीं होगा, दीक्षान्त समारोह में उपाधि प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. ऐसे प्रत्याशियों को, जो दीक्षान्त समारोह में स्वयं उपस्थित न हो सकेंगे, सीधे-सीधे कुलसचिव को निर्धारित शुल्क सहित प्रार्थना-पत्र देने पर उपाधि-पत्र भेज दिये जायेंगे।
3. दीक्षान्त समारोह में प्रत्याशी अपनी-अपनी उपाधियों के उपर्युक्त उत्तरीय धारण करेंगे। विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित उपयुक्त उत्तरीय न होने वाले प्रत्याशी को दीक्षान्त समारोह में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. दीक्षान्त समारोह में उपाधि प्रदान करने के प्रसंग में उच्चतम उपाधियों (डी. लिट्. तथा डी. एस.-सी.) के लिए प्रत्याशी सम्बद्ध संकाय के अधिष्ठाता द्वारा कुलपति के समक्ष व्यक्तिशः प्रस्तुत किये जायेंगे।
5. पी-एच.डी. उपाधि के लिये प्रत्याशी, सम्बद्ध संकाय के अधिष्ठाता द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक समूह में सम्बद्ध-संकाय के सभी प्रस्तुत विषयों के प्रत्याशी सम्मिलित होंगे।

   सम्बद्ध अधिष्ठाता द्वारा जैसे ही नाम पढ़े जायेंगे, प्रत्याशी अपने स्थान पर खड़े हो जायेंगे और जब एक संकाय के समस्त प्रत्याशी अधिष्ठाता द्वारा प्रस्तुत किये जा चुकेंगे, कुलपति द्वारा उपाधियाँ प्रदान की जायेंगी।
6. दीक्षान्त समारोह में सम्मिलित होने वाले प्रत्याशियों को उपाधि पत्र दिनांक 08,09 अक्टूबर 2019 को पालीवाल पार्क, परिसर, स्थित शोध विभाग एंव 10 अक्टूबर 2019 को सेठ पदम चन्द जैन प्रवन्धन संस्थान खंदारी परिसर आगरा से कार्यालय समय के अन्दर दिये जायेंगे।
7. कुलाधिपति, कुलपति तथा कुलसचिव अपने विशिष्ट उत्तरीय धारण करेंगे। 'कोर्ट','कार्य परिषद्' तथा 'विद्या परिषद्' के सदस्य डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की एम. फिल. उपाधि के लिये निर्धारित उत्तरीय धारण करेंगे।

8. कुलाधिपति, कुलपति, कोर्ट, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के सदस्य निश्चित समय पर एकत्र होंगे तथा निम्नलिखित क्रम में शोभा-यात्रा बनाकर दीक्षान्त वितान को प्रस्थान करेंगे -

कुलसचिव,
विद्यापरिषद् के सदस्य
कोर्ट के सदस्य,
कार्य परिषद् के सदस्य,
संकायों के अधिष्ठाता,
कुलपति
ए. डी. सी. प्रथम तथा ए. डी. सी. द्वितीय
मुख्य अतिथि, कुलाधिपति,
कुलाधिपति-सचिव

9. कुलाधिपति, कुलपति, मुख्य अतिथि तथा कार्य परिषद् के सदस्य मंच पर अपने आसन ग्रहण करेंगे और विद्या परिषद् तथा कोर्ट के सदस्य मंच के सामने पार्श्वों में नियत स्थानों पर अपने आसन ग्रहण करेंगे। सम्मानोपाधि ग्रहण करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के लिये भी मंच पर स्थान सुरक्षित रहेंगे।

10. वितान में शोभा-यात्रा के प्रवेश करने पर प्रत्याशी खड़े हो जायेंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि कुलाधिपति, मुख्य अतिथि तथा कार्य परिषद्, कोर्ट और विद्या परिषद् के सदस्य अपने-अपने आसनों पर बैठ न जायँ।

11. 'वन्दे मातरम्' यथा सम्भव विश्वविद्यालय की छात्राओं के द्वारा, अन्यथा छात्रों द्वारा गाया जायेगा। उस समय सब लोग खड़े रहेंगे।

12. कुलाधिपति की अनुमति से, यदि वे उपस्थित हों, कुलपति दीक्षान्त समारोह के प्रारम्भ होने की घोषणा इस प्रकार करेंगे -

"मैं कुलाधिपति की अनुमति से दीक्षान्त समारोह का उद्घाटन घोषित करता हूँ।"

जब कुलाधिपति न होंगे, कुलपति दीक्षान्त समारोह के प्रारम्भ होने की घोषणा इस प्रकार करेंगे -

"मैं दीक्षान्त समारोह का उद्घाटन घोषित करता हूँ।"

13. इसके पश्चात् कुलाधिपति द्वारा सम्मानोपाधियाँ भेंट की जायेंगी।

14. कुलपति मुख्य अतिथि का परिचय देंगे और तत्पश्चात् कुलाधिपति उनसे दीक्षान्त भाषण देने के लिए प्रार्थना करेंगे।

15. तब दीक्षान्त भाषण दिया जायेगा।

16. तदनन्तर कुलपति मुख्य अतिथि को उनके भाषण के लिये धन्यवाद देंगे।

17. तब कुलपति कहेंगे -

"डाक्टरेट उपाधियों के लिऐ प्रत्याशियों को प्रस्तुत किया जाय।"

18. डी. लिट् तथा डी. एस-सी. उपाधियों के प्रत्याशी व्यक्तिशः कुलपति के समक्ष सम्बद्ध संकाय के अधिष्ठाता द्वारा निम्न शब्दों में प्रस्तुत किये जायेंगे।

"श्रीमान्, मैं आपके समक्ष डाक्टर ऑफ .... की उपाधि के लिए डॉ. .... को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ, जिनकी परीक्षा ले ली गयी है, और जो .... में डॉक्टर ऑफ .... की उपाधि के लिये योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करता/करती हूँ कि ये डॉक्टर ऑफ .... उपाधि से अलंकृत किये जायें।"

तदनन्तर कुलपति डी. लिट् तथा डी. एस-सी. उपाधियों के लिये प्रत्याशियों को निम्नलिखित शब्दों द्वारा अलंकृत करेंगे :-

"डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के कुलपति पद में निहित अधिकार से मैं आपको डॉ. .... को इस विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ .... की उपाधि से अलंकृत करता हूँ और आप पर यह पवित्र दायित्व सौंपता हूँ कि आप आजीवन इस उपाधि के अनुरूप सुयोग्य सिद्ध हों।"

19. पी-एच. डी. उपाधियों के लिये प्रत्याशी अपने संकाय के अधिष्ठाता द्वारा कुलपति के समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे :-

"श्रीमन्, मैं आपके समक्ष .... संकाय से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के लिये निम्नलिखित प्रत्याशियों को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ, जिनकी परीक्षा ले ली गयी है और जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के लिये योग्य प्रमाणित हो चुके है।" :

अंग्रेजी

1-
2-
3-

संस्कृत

1-
2-
3-

फारसी

1-
2-
3-

इत्यादि

"मैं प्रार्थना करता/करती हूँ कि ये डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि से अलंकृत किये जायें।"

तदनन्तर कुलपति डाक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के लिये प्रत्याशियों को निम्नलिखित शब्दों में अलंकृत करेंगे :-